फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 25.02.2025

थाना कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/25 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT में वांछित अभियुक्तगणो को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डॉ0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री संजय वर्मा** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0038/25 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT में बांछित अभियुक्तगण 1.प्रहलाद पुत्र पुलिन्दर, 2. दुर्वेश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासीगण ग्राम अलीगढ़ थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद को श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कायगमंज के हुकुम तहरीर आदेश के अनुपालन में थाना कायमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.02.2025 को अहमदगंज पुलिया के पास कुंआ खेडा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1.प्रहलाद पुत्र पुलिन्दर उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम अलीगढ़ थाना कायगमंज जनपद फतेहगढ़
2.दुर्वेश कुमार पुत्र प्रहलाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अलीगढ़ थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा श्री भगवान सहाय पुत्र स्व0 लालमन नि0 ग्राम झकरई थाना अलीगंज जनपद एटा द्वारा दिये गये प्रा0पत्र वावत अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री रजनी उम्र करीब 26 वर्ष को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना तथा मारपीट कर फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार देने के सम्बन्ध में थाना

स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/25 धारा- 80/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT बनाम 1. दुर्वेश 2. प्रहलाद, 3. मुकेश , 4. आकाश नि0गण ग्राम अलीगढ पोस्ट अजमतपुर कुँआखेडा थाना कायमगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्तगण 1. प्रहलाद 2. दुर्वेश को अहमदगंज पुलिया के पास कुंआ खेडा से आज दिनांक 25.02.2025 को गिरफ्तार कर जिला कारागार फतेहगढ़ भेजा जा रहा है ।

अभियुक्त प्रहलाद का पूछताछ विवरण:- अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त ने जुर्म का इकवाल करते हुये अपने बयानो मे बताया कि मै खेती किसानी का काम करता हूं। मैने अपने लडके की शादी 18.04.2018 मे अपनी सगी बहन पुष्पा की लडकी रंजनी पुत्री भगवान सहाय नि0 ग्राम झकरई थाना अलीगंज जनपद एटा के साथ की थी मेरा लडका बीएससी पास है लेकिन मेरी बहू रंजनी पढी लिखी नही थी इस कारण से मेरे लडके और मेरी बहू के बीच में लडाई झगडा होता रहता था। दिनाक 22.02.2025 को मेरी वहू रजनी ने अपने कमरे मे रखी हुयी चारपाई पर प्लास्टिक की कुर्सी पर चढ कर साडी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर फांसी लगा ली थी। साहब मैने कोई जुर्म नही किया है मै अपने शेष बयान अपने वकील के माध्यम से कोर्ट मे दूंगा।

अभियुक्त दुर्वेश का पूछताछ विवरण:- अभियुक्त दुर्वेश उपरोक्त ने जुर्म का इकवाल करते हुये अपने बयानो में अंकित कराया है कि मै बीएससी तक पढा लिखा हूं। मेरी शादी दिंनाकः 18.04.2018 को मेरी संगी बुआ की लडकी रजनी पुत्री भगवान सहाय नि0 ग्राम झकरई थाना अलीगंज जनपद एटा के साथ हिन्दु रिति रिवाज के साथ हुयी थी। मेरी पत्नी पढी लिखी नही थी। इस कारण से मेरा अपनी पत्नी से अक्सर झगडा होता रहता था। मेरी पत्नी कई दिनो से मुझसे बडा मोबाइल फोन मांग रही थी मैने उससे यही कहां की तुम पढी लिखी तो हो नही तो मोबाइल कैसे चलाओगी इसी बात पर वह मुझसे नाराज चल रही थी। मै दिंनाक 22.02.2025 को खेतो में काम कर रहा था तभी मेरे पास सूचना मिली की रजनी ने फांसी लगा ली है मै जैसे ही घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी रजनी ने चरपाई पर प्लास्टिक की कुर्सी को रखकर उस पर चढकर पंखें से लटकर साडी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी । मैने और मेरे पिता जी ने रजनी को साडी के फंदे से नीचे उतारा हमे लगा की उसकी सांसे चल रही है इस लिये रजनी को बाहर लेटा दिया था।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त –:-

मु0अ0सं0 38/25 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दुर्वेश कुमार उपरोक्त –:-

मु0अ0सं0 38/25 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 सुरजीत सिंह
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 इकराम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0- 25.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मोहित उर्फ गौरव पुत्र रामनरेश निवासी जटवारा जदीद थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 745/2015 वाद स0- 26/2016 धारा- 376/511/452/506/323/147 भा0द0वि0 व 18 पाक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0 के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 25.02.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रू0 द्वारा अभि0 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 33 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेन्द्र सिंह

पैरोकार का0 मुकेश पचौरी

GPS Map Camera
Google
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
Hj33+f62 Police Station, Amritpur, District : Farrukhabad, Sh 43, Uttar Pradesh 209622, India, Farrukhabad, Uttar Pradesh 209622, India
Lat 27.554034° Long 79.602338°
25/02/2025 08:25 PM GMT +05:30